राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के मुख्य उददेश्य निम्नानुसार हैं

(क) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास घटकों के प्रस्ताव, जो कि जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा हैं, की व्यवहार्यता के लिए संभव जलाशय स्थलों तथा परस्पर जोड़ने वाले लिंकों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना ।

(ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों तथा हिमालयी नदियों में जल की मात्रा जो कि बेसिन/राज्यों की समुचित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद निकट भविष्य में अन्य बेसिनों/राज्यों में अंतरण किया जा सकता है, के संबंध में व्यापक अध्ययन करना।

(ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास से जुड़ी स्कीम के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

(घ) संबंधित राज्यों से सहमति मिलने के बाद जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

(ड़) राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतः राज्यीय लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता/ व्यवहार्यता रिपोर्ट/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। व्यवहार्यता रिपोर्ट/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के लिए संबंधित संयुक्त बेसिन वाले राज्यों की सहमति ली जाएगी |

(च) नदियों को जोड़ने का एक भाग बनाने वाली परियोजनाओं या प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जिनमें शीघ्र सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ऐसे ही अन्य परियोजनाओं को स्वयं या नियुक्त एजेंसी / संगठन / पी.एस.यू. या कम्पनी द्वारा परियोजना को आरंभ करना / निर्माण /मरम्मत /नवीयन/ पुनर्वास/ क्रियान्वयन करना ।

(छ) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जमाओं अथवा ब्याज पर दी गई राशि पर प्राप्त धन संग्रहकर्त्ता के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार उधार ली गई निधि / राशि / जमाओं / ऋण आदि का पुनर्भुगतान सुरक्षित करने के लिए वर्तमान में या भविष्य में या दोनों में सभी या किसी अन्य सम्पत्ति, परिसम्पत्ति को सोसाइटी के राजस्व में बंधक, गिरवी रखकर या वैध अधिकार (लियन) में परिवर्तित कर सकता है ।

(ज) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्ति करने हेतु सोसाइटी द्वारा अन्य ऐसे प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक कार्य करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे ।